# प्रेस नोट थाना खजनी गोरखपुर दिनांक 20.01.2023

## अवैध रूप से अपमिश्रित कच्ची शराब बनाने वाले गैंगेस्टर एक्ट मे वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

विष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम एव वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा मय टीम के द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 405/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. सोवेन्द्र यादव पुत्र किपल यादव निवासी बेलडाड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर 2. राजेश भगत पुत्र किरन भगत निवासी तान थाना कुंडू जिला लोहरदग्गा झारखण्ड हाल पता AKS मार्का ईट भट्टा बेलडाड़ थाना खजनी गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण को आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1. सोवेन्द्र यादव पुत्र कपिल यादव निवासी बेलडाड़ थाना खजनी जनपद गोरखपुर
- 2. राजेश भगत पुत्र किरन भगत निवासी तान थाना कुंडू जिला लोहरदग्गा झारखण्ड हाल पता AKS मार्का ईट भट्टा बेलडाड़ थाना खजनी गोरखपुर

#### अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- 1 मु0अ0सं0 035/2022 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272,273 भादवि थाना खजनी गोरखपुर।
- २ मु0अ0सं0 ४०५/२०२२ धारा ३(1) उ०प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खजनी गोरखपुर।

#### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1 -थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना खजनी गोरखपुर।
- 2 -कां0 रामबाबू यादव थाना खजनी गोरखपुर।
- 3 का0 रंजीत सोनी थाना खजनी गोरखपुर।
- 4 का0 मनीष कुमार थाना खजनी गोरखपुर।
- 5 का0 बृजेश यादव थाना खजनी गोरखपुर।